उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-195/2019/2823/92-2-19-3टीएसी/17टीसी-1
लखनऊ:: दिनांक:: 10 दिसम्बर,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-गोरखपुर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रो के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच आख्या दिनांक 20-12-2018 व 15-02-2019 में परिलक्षित शासकीय क्षति व अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-80/2019/1165/92-2-19-03टीएसी / 17टीसी-1 दिनांक 06-06-2019 द्वारा श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,परि0-बस्ती के पत्रसं0-887/ ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/ जांच/19-20 दिनांक 19-10-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी श्री रऊफ अहमद पर अधिरोपित सभी 04 आरोप निर्माण कार्यो में परिलक्षित शासकीय क्षति को अपचारी अधिकारी द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दिये जाने तथा उक्त शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा (02 प्रतिशत) से कम पाये जाने के आधार पर दोषमुक्त बताया गया है। अतएव श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञापसं0-80/2019/1165/92-2-19-03टीएीस/17टीसी-1 दिनांक 06-06-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-195/2019/ 2823/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

2- श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।